Retributive Theory (प्रतिकारवाद) —

इस सिद्धांत के अनुसार दंड एक न्यायोचित व्यापार है। दंड का लक्ष्य नैतिक नियम की उच्चता तथा प्रभुता की रक्षा और दोषी को दंडित करना है। जब कोई अपराधी नैतिक नियमों का उल्लंघन करता है, तब न्याय का तकाजा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए और नैतिक नियमों की प्रतिष्ठा एवं प्रभुता कायम रहनी चाहिए। नैतिक नियम सर्वोच्च प्रभुसत्ता है। इसलिए इसे भंग करनेवाला निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। यदि अपराधी को सजा नहीं दी जाती, तो इससे नैतिक नियमों की प्रभुसत्ता और गरिमा पर आँच आती है।

कुछ लोग प्रतिकारवाद को प्रतिकार अथवा प्रतिहिंसा की अधार्मिक भावना पर आधृत मानते हैं। किन्तु, ऐसा मानना अनुचित है। प्रतिहिंसा या प्रतिकार (बदला) को इसलिए निंदनीय माना जाता है; क्योंकि इसमें व्यक्तिगत द्वेष की भावना विद्यमान रहती है। किन्तु जब किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को सजा दी जाती है तब इसमें व्यक्तिगत द्वेष का भाव नहीं पाया जाता। मैकेंजी के शब्दों में, "न्यायालय केवल मनुष्य को उसी का प्रतिदान करता है, जो वह

अर्जित कर चुका है। वह अशुभ कर चुका है और युक्तियुक्त है कि उसके पाप का पारिश्रमिक अर्थात अशुभ उसे वापस मिलना चाहिए।" अरस्तु भी दंड को ऋणात्मक (negative) पुरस्कार कहते हैं। जो जान-बुझकर नैतिक नियम की अवहेलना करे, उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। मैकेंजी ने ठीक ही कहा है — "यह उसका अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। समाज जो उसे का दंड देता है, उसके अधिकार से उसे वंचित नही करता, बल्कि जो उसे मिलना चाहिए, जो वह कमा चुका है, वही उसे देता है।" कांट और हीगेल भी इस विचार से सहमत है कि अपराधी को अवश्य दंड मिलना चाहिए; क्योंकि यह उसका ऋणात्मक पुरस्कार है।

कभी-कभी अपराधी राज्य द्वारा दंडित नही होते। इस स्थिति में वे पश्चाताप द्वारा आत्मशुद्धि करते है। उन्हे ऐसा अनुभूत होता है कि अशुभ कर्म द्वारा उन्होंने जितना अर्जित किया है, उतना उन्हे उपलब्ध नही हुआ है। ब्रैडले भी इस मत के समर्थक है। उसके शब्दो में "हम दंड इसलिए भोगते है कि हम उसके योग्य है, किसी दूसरे कारण से नही।